Amendment to the central insecticides act

3216. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether Government of Andhra Pradesh has proposed amendments to the Central Insecticides Act;
- (b) if so, the details of the proposed amendments;
- (c) whether Government have examined the proposal; and
 - (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF **AGRICULTURE** (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

- (b) The details of the proposals are given in the Statement attached (See below).
- (c) and (d) The proposals are under consideration of the Government.

Statement

Proposed amendments to Insecticides Act, 1968

S.No. Amendment proposed by Government of Andhra Pradesh

- Amendment of Section 22(3) for non-payment of cost of sample if the sample fails and for payment of two portions of the sample if the sample passes.
- Amendment of Section 21(1)(d) to (2) stop sale of pesticides for a maximum period of 60 days instead of 20 days.
- Amendment of Section 29(4) to (3) allow publicity of the manufacturers of spurious pesticides through Newspapers, Air, TV etc.
- Amendment of Section 18(c) for (4) banning the sale of entire product of a manufacturing unit and not a particular batch whose sample has failed.

मत्स्य पालन विकास के लिए विश्व बैंक की संहायता

3217. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा व गुजरात समेत देश के अन्य राज्यों को मत्स्य पालन परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है:
 - (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
- (ग) विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना किन-किन राज्यों में चलाई जा रही है: और
- (घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व बैंक से सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) विश्व बैंक एक झींगा तथा मत्स्य पालन परियोजना (सी आर-2329—आई एन) को सहायता दे रहा है जो 283.63 करोड़ रुपए (उस समय की मौजदा दरों पर 95 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) की कुल अनुमानित लागत पर सात वर्षों को अवधि के लिए दिनांक 28.5.1992 से ऋण प्रभावी हो गई थी जिसमें से 90 प्रतिशत राशि अंतर्राष्ट्रीय विकास परिसंघ के ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि की केन्द्र / भागीदार राज्यों तथा लाभार्थियों द्वारा हिस्सेदारी की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य भागीदार राज्यों में झींगा तथा मछली उत्पादन में वृद्धि करना है जो मछुआरों समुदायों तथा मत्स्य कृषकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में सुधार करेंगे। इस परियोजना से समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमि के क्षारीय भाग का उपयोग करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना में ये शामिल हैं:-- (1) खारा जल झींगा घटक तथा (2) अंतर्देशीय मास्सिकी घटक।

इस परियोजना का क्रियान्वयन आंघ्र प्रदेश, उडीसा, पश्चिम बंगाल बिहार तथा उत्तर प्रदेश नामक पांच राज्यों में किया जा रहा है। जबकि मत्स्य पालन घटक का क्रियान्वयन सभी पांच राज्यों में किया जा रहा है, झींगा पालन घटक का क्रियान्वयन आंघ्र प्रदेश, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जा रहा है। गुजरात को इस परियोजना के तहत शामिल नहीं किया गया है।